रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219985
CG-DL-E-17062020-219985

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1704] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27 , 1942
No. 1704] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISTHA 27, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का.आ. 1920(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद, यह मत है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक या उचित है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को बटरफ्लाई वाल्व (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश दिनांक 01.01.2021 से प्रभावी होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग-** निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें बीआईएस (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण –** भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
सामान्य उपयोग के लिए बटरफ्लाई वाल्व	आईएस:13095	सामान्य उपयोग के लिए बटरफ्लाई वाल्व

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित और अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29014/69/2017-LEI]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 17th June, 2020

S.O. 1920(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) This Order may be called Butterfly Valves (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force with effect from 01.01.2021.

2. Compulsory use of Standard Mark.- The goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard as specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standard as per Scheme-I of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority. – The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods of articles specified in column (1) of the Table.

TABLE

Goods or article.	**Indian Standard.**	**Title of Indian Standard.**
(1)	(2)	(3)
Butterfly Valves for general purposes.	IS: 13095	Butterfly valves for general purposes.

Note: For the purposes of this table, The latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F.No. P-29014/69/2017-LEI]
ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.17 21:43:07 +05'30'